मुकदमों का विवरण

टोट्टेम्पुडी सालित बनाम.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। (2021 की सिविल अपील संख्या 2348) 18 अक्टूबर, 2023

**[**अनिरुद्ध बोस और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःइस बारे में मुद्दे उठे कि क्या वर्ष 2015 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में डी. ई. बी. टी., यू/एस. आवेदन का विषय बन सकता है।7 आई. बी. सी.; क्या डी. आर. टी. से संपर्क करने वाले बैंकों को चुनाव के सिद्धांत के अंतर्गत ऋणों के एक ही समूह की वसूली के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से रोक दिया गया था; और क्या चूक की तारीख उस तारीख तक वापस जानी चाहिए जिस दिन कॉर्पोरेट देनदार के ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था।

दिवाला और दिवालियापन संहिता**, 2016 -**धारा **7-**वर्ष **2015** में जारी वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में ऋण**,** यदि किसी आवेदन का विषय बन सकता है।**7 –** कॉरपोरेट देनदार को कई बैंकों को ऋण चुकाने में विफलता के कारण दिवालिया कार्यवाही का सामना करना पड़ा**-**ट्रिब्यूनल द्वारा वर्ष **2015** और **2017** में कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया**,** जिसमें वित्तीय लेनदार**-**बैंकों की हिस्सेदारी थी**-**इसके आधार पर**,** वित्तीय लेनदार ने यू/एस के तहत कार्यवाही शुरू की।**7** वर्ष **2019** में निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया**-**सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** की मांग करते हुए**-**न्यायाधिकरण ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और सीमा के आधार पर स्थगन घोषित कर दिया**-**इसके खिलाफ फिर से अपील**,** इस आधार पर कि आवेदन यू**/**एस।**7** चुनाव की सीमा और सिद्धांत के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं था**-**अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज**-**शुद्धता

आयोजित किया गयाःवित्तीय लेनदारों को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से रोकने के लिए चुनाव के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है-वसूली प्रमाण पत्र की तारीख को वह तारीख माना गया था जिस पर





सीमा का समय बढ़ने लगा-निगमित देनदार द्वारा बैंकों को जारी किया गया पत्र, जो वित्तीय लेनदारों को देय राशि का भुगतान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत था, एक बार के निपटान पर विचार करने का अनुरोध था-अभिकथन या अभिवचन के अभाव अंतर्गत ,

दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद, ऋण का भुगतान करने के लिए किए गए किसी भी वादे को पहले से मौजूद कार्रवाई अंतर्गत सीमा की गलती को ठीक करने के लिए नहीं माना जा सकता है-यह अपने आप अंतर्गत ऋण को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, हालांकि यह कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण बना सकता है-न्यायाधिकरण के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही तीन वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर एक समग्र आवेदन है, जिनअंतर्गत से दो तीन साल की सीमा अवधि के भीतर स्थापित किए गए थे, लेकिन तीसरा वसूली प्रमाण पत्र 2015 अंतर्गत जारी किया गया था।[पैरा 7,9,12,13,15]

दिवाला और दिवालियापन-दिवाला कार्यवाही-चुनाव का सिद्धांत-लागू करना-कॉर्पोरेट देनदार की याचिका कि बैंकों ने डी. आर. टी. से संपर्क किया था, चुनाव के सिद्धांत के अंतर्गत ऋणों के एक ही समूह की वसूली के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से रोक दिया गया थाः

आयोजित किया गयाःसाक्ष्य के विधि में निहित चुनाव का सिद्धांत, कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर दो अलग-अलग मंचों पर एक ही अधिकार के अभियोजन को रोकता है-तथ्यों पर, डी. आर. टी. से पहले वसूली की कार्यवाही 2014 में शुरू हुई थी, और उस समय, आई. बी. सी. अस्तित्व में नहीं आया था-वसूली प्रमाण पत्र स्वयं ही कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा जो एक वित्तीय लेनदार को सी. आई. आर. पी. शुरू करने का अधिकार देता है।



– इस तरह की वसूली प्रमाण पत्र डी. आर. टी. से एक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ-वसूली प्रमाण पत्र के लिए प्रवर्तन तंत्र एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम है, जिसे एक वित्तीय लेनदार 1993 के अधिनियम के अंतर्गत तंत्र का पीछा करने के बजाय 1993 के अधिनियम के अंतर्गत अपने बकाया की प्राप्ति का विकल्प चुन सकता है-1993 के अधिनियम के अंतर्गत ऋण के प्रवर्तन के लिए मंचों के बीच चुनाव का प्रश्न और आई. बी. सी. के अंतर्गत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का प्रश्न केवल वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उत्पन्न होता है-दोनों कानूनों के अंतर्गत राहत अलग-अलग होती है और एक बार सी. आई. आर. पी. के परिणाम स्थगन की घोषणा में होते हैं, 1993 के अधिनियम या एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन तंत्र निलंबित हो जाता है-ऐसी परिस्थितियों में, वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, एफ.[पैरा 11]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम ए. बालकृष्णन और एक अन्य (2022)

9 एस. सी. सी. 186-पर निर्भर था।

धरणी शुगर एंड केमिकल्स Ltd.v।भारत संघ और अन्य

(2019) 5 एससीसी 480:[2019] 6 एस. सी. आर. 307; जिग्नेश शाह और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (2019) 10 एस. सी. सी. 750:[2019] 12 एससीआर 678; रिलायंस एसेट

पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड बनाम होटल पून्जा इंटरनेशनल प्राइवेट

लिमिटेड (2021) 7 एससीसी 352:[2021] 1 एस. सी. आर. 495; बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर

बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2020) 15 एस. सी. सी. 1:[2020] 13 एस. सी. आर. 368; कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम.क्यू प्रिसिजन पाट्र्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2022) 9 एससीसी 364; बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019) 11 एससीसी 633: [2018] 12 एससीआर 794; गौरव हरगोविंदभाई दवे बनाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड और एक अन्य (2019) 10 एससीसी 572:[2019] 13 एस. सी. आर. 224; वाशदेव आर. भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और

एक और (2019) 9 एससीसी 158:[2019] 12 एस. सी. आर. 75; ट्रान्सकोर बनाम भारत संघ और दूसरा (2008) 1 एस. सी. सी. 125:[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 785-संदर्भित।

495

टोटेम्पुडी सालित बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2021 की सिविल अपील No.2348।2021 के कंपनी अपील (ए. टी.) (सी. एच.) (आई. एन. एस.) No.04 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई के दिनांकित 25.06.2021 के निर्णय और आदेश से

रूपः

के. परमेश्वर, सुश्री ए. श्रीगुरुप्रिया, सुश्री आरती गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अवरोज्योति चटर्जी, राजीव एस रॉय, सिद्धार्थ ढींगरा, सुश्री जयश्री साहा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

अनिरुद्ध बोस, न्या.

हमारे समक्ष अपीलकर्ता ने खुद को प्रतिवादी संख्या 2, टोटेम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) के प्रबंध निदेशक के रूप में वर्णित किया है, जिसके खिलाफ कई बैंकों द्वारा ऋण और बैंक गारंटी के रूप में उन्हें दी गई वित्तीय सुविधाओं का भुगतान करने में

चूक के कारण कार्यवाही शुरू की गई है।राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष किए गए चूक के कारण कुल दावा Rs.613,27,01,598.23-के योग के लिए था।कई बैंकों ने इन सुविधाओं का विस्तार किया था, जिनमें (i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (ii) आईडीबीआई, (iii) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, (iv) बैंक ऑफ बड़ौदा, (v) कर्नाटक बैंक, (vi) सिंडिकेट बैंक और (vii) पंजाब नेशनल बैंक के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल था, जो इस अपील में पहला प्रतिवादी है।स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने भी ऐसी सुविधाओं का विस्तार किया था, लेकिन उन्होंने 01.04.2017 पर भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया था।इसलिए, भारतीय स्टेट बैंक अब इन बैंकों के समग्र दावों पर मुकदमा चला रहा है।एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही में, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, यह भारतीय स्टेट बैंक था जिसने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) की धारा 7 के अंतर्गत वित्तीय लेनदार के रूप में आवेदन का नेतृत्व किया था।



2. आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्रवाई करने से पहले, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई.) की धारा 13 (2) के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार को नोटिस जारी किया गया था और उनके खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) के समक्ष वसूली कार्यवाही शुरू की गई थी।तीन आवेदन डी. आर. टी., हैदराबाद से पहले 2014 के ओ. ए. No.154 और 2014 के ओ. ए. No.221 के नेतृत्व में किए गए थे, जिनमें से पहले वाले को 2017 के ओ. ए. No.1653 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।तीसरा आवेदन डी. आर. टी., बेंगलुरु के समक्ष दायर किया गया था जिसे 2014 के ओ. ए. No.1930 के रूप में पंजीकृत किया गया था।ऋण देने वाले बैंकों के दावों को कवर करते हुए संबंधित न्यायाधिकरणों द्वारा तीन वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।हैदराबाद न्यायाधिकरण द्वारा दो वसूली प्रमाण पत्र 08.09.2015 और 17.10.2017 पर क्रमशः Rs.14,50,06,349.23-और Rs.14 08,03,14,857.40 के योग के लिए जारी किए गए थे।2014 के ओ. ए. No.221 के रूप में पंजीकृत मामले में, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद आवेदक बैंक था।2014 के ओ. ए. सं. 154 में, इन सभी बैंकों ने एक समग्र आवेदन का नेतृत्व किया।2014 के ओ. ए. No.1930 में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर द्वारा लाई गई कार्यवाही में, 04.08.2017 पर रु. 5,22,21,750/- की राशि के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।17.10.2017 पर जारी वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में, भारतीय स्टेट बैंक ने Rs.368,22,13,348.59-का हकदार होने का दावा किया।

3. आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक का आवेदन एन. सी. एल. टी. के समक्ष 06.09.2019 पर किया गया था, जो उन सभी तीन वसूली प्रमाण पत्रों पर आधारित था जिनमें प्रथम प्रतिवादी की पर्याप्त हिस्सेदारी थी।12.01.2021 पर पारित अपने आदेश में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और IBC की धारा 14 के संदर्भ में स्थगन की घोषणा की। इस आदेश द्वारा, एक जी. सत्यनारायण मूर्ति को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) के रूप में नियुक्त किया गया था।अपीलार्थी, जो निगमित देनदार के प्रबंध निदेशक थे, ने एन. सी. एल. टी. के आवेदन को स्वीकार करने और मुख्य रूप से सीमा के आधार पर स्थगन घोषित करने के उक्त निर्णय के खिलाफ अपील की।राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (अपीलीय न्यायाधिकरण) के समक्ष, सीमा के मुद्दे के अलावा, एक बिंदु का आग्रह किया गया था कि आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक आई. डी. 1 के अनुसार शुरू किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा धरणी शुगर के मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए. ए. के प्रावधान से परे माना गया था और

केमिकल्स लिमिटेड-बनाम-भारत संघ और अन्य [(2019) 5 एस. सी. सी. 480]।

इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में आई. बी. सी. को लागू करने के लिए अनिवार्य रूप से मानदंड निर्धारित किए गए थे।एन. सी. एल. टी. ने एक पत्र 497 पर विचार किया था।



निगमित देनदार द्वारा यूनियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को संबोधित 29.01.2020 पर जारी किया जाता है, जो वित्तीय लेनदारों को देय राशि का भुगतान करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होता है।इसी पत्र में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय संकट के दौरान कॉर्पोरेट देनदार का समर्थन करें और लगाए गए दंडात्मक ब्याज को माफ करने की मांग की गई थी।इस पत्र में एक बार के समझौते का अनुरोध भी किया गया था।एन. सी. एल. टी. ने इस पत्र को ऋण की स्वीकृति माना।आवेदन स्वीकार करते समय 12.01.2021 पर लिए गए अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा गया थाः-

“....इसलिए, हमारा विचार है कि ऋण चुकाने के लिए सहमत होने वाले उनके दिनांकित पत्र 29.01.2020 के माध्यम से दायित्व स्वीकार करके, कॉर्पोरेट देनदार अब यह रुख नहीं ले सकता है कि ऋण सीमा द्वारा वर्जित है।ऋण की स्वीकृति और दायित्व के लिए समान राशि चुकाने के लिए सहमत होना और यह स्वचालित रूप से सीमा अवधि को बढ़ाता है। "

अपीलीय न्यायाधिकरण ने मोटे तौर पर एन. सी. एल. टी. के तर्क से सहमति व्यक्त की और 12.01.2021 पर दिए गए निर्णय को बरकरार रखा।

4. अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी की दलीलें मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक आधारों पर थीं।सीमा के प्रश्न  के अलावा, तर्क दिए गए कि एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन को चुनाव के सिद्धांत के अंतर्गत  प्रतिबंधित किया गया था, उधारकर्ता ने पहले एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. तंत्र को चुना था और डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन किया था। सीमा के बिंदु को भी दोहराया गया।आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 1 से जुड़े मुद्दे पर अपीलार्थी का मामला यह था कि बैंकों ने उपरोक्त परिपत्र के आधार पर आई. बी. सी. के अंतर्गत  मंच से संपर्क किया था।हालाँकि उक्त परिपत्र को रद्द कर दिया गया था

धरणी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड (ऊपर) के मामले में।इस जमीन पर,

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था।अपीलीय न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लियाः-

“56. अपीलार्थी की याचिका के संबंध में कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आक्षेपित आदेश में, भले ही पैराग्राफ 12 में उल्लेख किया था कि निगमित ऋणदाता ने दो तरह का तर्क दिया था (1) कि याचिका को सीमा द्वारा वर्जित किया गया है (2) याचिका आर. बी. आई. परिपत्र द्वारा शुरू की गई है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए. ए. का अति विषाणु माना गया था, इस आक्षेपित  आदेश के माध्यम से चल रहे न्यायाधिकरण का विचार है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने उसी को स्वीकार नहीं किया था और इस संबंध में उक्त आदेश की वर्तनी नहीं की गई है।

कारणों से।इसलिए, इस न्यायाधिकरण की गंभीर राय है कि यह वांछनीय है कि एक 'न्यायनिर्णायक प्राधिकरण' भविष्य में अपने दिमाग का खुलासा करे ताकि प्रकटीकरण की मजबूरी, इस तथ्य के अलावा विचार की गारंटी दे कि कारण निर्धारित करने का कर्तव्य स्पष्टता का परिचय देता है और मनमानेपन को कम करता है।इसके अलावा, यह वरिष्ठ प्राधिकारी को कानूनी स्तर पर पारित आदेश का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाएगा।हालाँकि, इस न्यायाधिकरण ने वर्तमान अपील में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण पर एक 'अपीलीय प्राधिकरण' होने के नाते धारा 7 के आवेदन और दिनांक 12.02.2018 के RBI परिपत्र के पहलू से संबंधित सीमा के पहलू पर विचार किया है और इस निर्णय  के प्रासंगिक होने पर इसका जवाब दिया है।इस प्रकार, इस न्यायाधिकरण की सुविचारित राय में, अपीलार्थी इस संबंध में व्यथित व्यक्ति नहीं हो सकता है।

57. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारी 'न्याय वितरण प्रणाली' में, 'कानून' का निर्णय उन कारणों के साथ किया जाना है जो संहिताओं/न्यायाधिकरणों/वकीलों/हितधारकों और वादियों के भीतर दोषसिद्धि करते हैं ताकि इसे स्थिर, पूर्वानुमेय और सुसंगत बनाया जा सके ताकि सभी के लाभ के लिए निश्चितता और स्पष्टता हो।यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी न्यायाधिकरण का निर्णय/आदेश गहरी पीड़ा और सकारात्मक भावना के बाद ही लिखा जाना है।इसके अलावा, विधि  को विकसित करने की प्रक्रिया विकास की होनी चाहिए।इस संबंध में

यह इंगित नहीं किया जा सकता है कि 'स्टेर डिसिसिस' के नियम का अपवाद यह है कि एक न्यायालय/न्यायाधिकरण 'प्रति इनक्यूरियम' तक पहुंचने वाले निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

58. वास्तव में, तत्काल मामले में जब एक बार कंपनी ने चूक की हो/की हो और उस तारीख को ऋणदाता के लिए उपलब्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने के बाद (ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष) और जब वित्तीय लेनदार/ऋणदाता ने 'मूल आवेदनों' में आदेश प्राप्त किए हों और बाद में वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हों, और जब ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष दिए गए मूल आवेदनों को वैधता प्राप्त हो गई हो, तो इसके बाद यह ऋणदाता/वित्तीय लेनदार/डिक्री धारक के लिए है कि वह 'चुनाव' के मामले में 'सक्षम मंच' के समक्ष अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वसूली तंत्र का अनुसरण करे या लाभ के लिए दिवालिया कार्यवाही शुरू करे।डिक्री धारक/ऋणदाता/वित्तीय लेनदार ने आई एंड बी कोड 499 की प्रासंगिक धारा के अंतर्गत  दिवाला कार्यवाही की शुरुआत की है/की है।



(संहिता के लागू होने के बाद) उसे दोषी नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में 'कानून' में कोई बाधा नहीं है।

59. यह इंगित किया जाता है कि इस न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी की ओर से दिए गए निर्णय, तत्काल मामले में वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए उन पर न तो विचार किया जाता है और न ही चर्चा की जाती है।

60. जो भी हो, विस्तृत परिणाम को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायाधिकरण पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत संबंधित दलीलों पर ध्यान देते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, एक परिणामी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तत्काल मामला एक 'वित्तीय ऋण' है जो 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा देय और देय है।इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार/टोटेम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (ओं) द्वारा आदेश पारित किए गए थे और तीन 'वसूली प्रमाण पत्र' दिनांक 17.10.2017,04.08.2017 और 08.09.2015 स्पष्ट रूप से देय और देय वित्तीय ऋण के तथ्य को स्थापित करते हैं, और यह चूक 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा की गई थी।सटीक रूप से कहने के लिए, तत्काल मामले में प्रथम प्रतिवादी/बैंक की ओर से 'ऋण' और 'चूक' साबित करने की जिम्मेदारी को विधिवत निर्वहन कर दिया गया है।किसी भी दृष्टिकोण से देखते हुए, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 'निगमित ऋणदाता' के विरुद्ध धारा 7 के आवेदन का 'प्रवेश आदेश' ('राष्ट्रीय कंपनी विधि  न्यायाधिकरण', हैदराबाद पीठ ने प्रथम प्रतिवादी/बैंक के नेतृत्व में एक आवेदन में) सी. पी. (आई. बी.) संख्या में 'आई. डी. 1' पर वित्तीय लेनदार के रूप में। परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है।निष्कर्षःफाइने में,

कॉम्प ऐप (एटी) (सीएच) (इन्स) नंबर. 04/2021 को खारिज कर दिया जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।आई ए नंबर. 09/2021 और 10/2021 बंद हैं। "

5. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड-बनाम-ए. बालकृष्णन के मामले में

और एक अन्य [(2022) 9 एस. सी. सी. 186], इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऋण और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (1993 अधिनियम) के प्रावधान के संदर्भ में वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के दृष्टिकोण से सीमा के प्रश्न की जांच की थी।हम अब से इस निर्णय को कोटक महिंद्रा I के रूप में संदर्भित करेंगे। इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई थीः-

“28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एस. सी. सी. पैरा 136 और 141 में देना बैंक [देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी, (2021) 10 एस. सी. सी. 330] में इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब कोई दावा फलीभूत हो जाता है, तो निर्णय लेने पर निर्णय और आदेश/डिक्री में परिणत हो जाता है, और वसूली का एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है जो लेनदार को अपने डिक्रीटल बकाया की वसूली करने के लिए अधिकृत करता है, तो लेनदार को वित्तीय निर्णय और/या आदेश/डिक्री और डिक्री/या वसूली प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट राशि की वसूली करने का एक नया अधिकार प्राप्त होता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि वित्तीय लेनदार के पक्ष में वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने से वित्तीय लेनदार के लिए कार्रवाई का एक नया कारण पैदा होगा, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने के लिए, निर्णय और/या डिक्री की तारीख से तीन साल के भीतर या वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर, यदि निर्णय और/या डिक्री और/या वसूली के प्रमाण पत्र के संदर्भ में, वित्तीय देनदार को कॉर्पोरेट देनदार का बकाया भुगतान नहीं किया गया था।

××× ××× ×××

56. जहाँ तक धारा 14 आई. बी. सी. की उप-धारा (1) के खंड (ए) के संबंध में उत्तरदाताओं के तर्क का संबंध है, हम यह नहीं मानते हैं कि धारा 14 आई. बी. सी. की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ यह हो सकता है कि डिक्री धारक सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. के प्रावधानों को विधि करने का हकदार नहीं है। उक्त धारा के एक सादे अध्ययन से स्पष्ट रूप से यह प्रावधान होगा कि एक बार सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद, किसी भी न्यायालय , न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय , डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमे या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने पर प्रतिबंध होगा।मुकदमे की स्थापना या लंबित मुकदमों या कार्यवाही को जारी रखने के निषेध का अर्थ यह नहीं होगा कि एक डिक्री धारक को सी. आई. आर. पी. शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया गया है, यदि वह अन्यथा विधि ी रूप से हकदार है।प्रभावी अधिनियम यह होगा कि

आवेदक, जो एक डिक्री धारक है, को स्वयं अपने पक्ष में डिक्री को निष्पादित करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

××× ××× ×××

**71.** हम पहले ही ऊपर आई**.** बी**.** सी**.** के प्रासंगिक प्रावधानों पर नए सिरे से विचार करने की कवायद कर चुके हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि **501**



वसूली प्रमाण पत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता धारा 5 आई. बी. सी. के खंड (8) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा और वसूली प्रमाण पत्र का धारक धारा 5 आई. बी. सी. के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय लेनदार" होगा। हमने यह भी माना है कि एक व्यक्ति उस तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा जिस दिन वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।हमारा विचार है कि देना बैंक [देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी, (2021) 10 एस. सी. सी. 330] में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विधि ी रूप से सही है और हम उसी पर सहमत हैं।

××× ××× ×××

86. निष्कर्ष निकालने के लिए, हम मानते हैं कि वसूली प्रमाण पत्र से उत्पन्न होने वाले दावे के संबंध में देयता धारा 5 आई. बी. सी. के खंड (8) के अर्थ के भीतर एक "वित्तीय ऋण" होगा। नतीजतन, वसूली प्रमाण पत्र का धारक धारा 5 आई. बी. सी. के खंड (7) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार होगा। इस प्रकार, इस तरह के प्रमाण पत्र का धारक सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा, यदि वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर शुरू किया जाता है। "

6. अपीलीय न्यायाधिकरण ने आक्षेपित आदेश में निगमित देनदार के पत्र को भी ऋण की स्वीकृति माना था जो 29.01.2020 पर जारी किया गया था और उस आधार पर सीमा अवधि की गणना करने के लिए आगे बढ़ा था।हमारी राय में, यह तर्क प्रक्रियात्मक रूप से गलत था।इस स्थिति पर अपीलार्थी का रुख सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 पर आधारित है और उनका तर्क है कि सीमा की अवधि से परे कोई भी स्वीकृति मुकदमा करने के अधिकार को पुनर्जीवित नहीं करेगी।अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जिग्नेश शाह के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है और

एक अन्य-बनाम-भारत संघ और दूसरा [(2019) 10 एस. सी. सी. 750] जिसमें

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सीमा अधिनियम में प्रदत्त सीमा अवधि आई. बी. सी. के अंतर्गत  आवेदनों पर भी लागू होगी।आई. बी. सी. की धारा 238 ए (06.06.2018 से ई. एफ. ई. सी. टी. के साथ की गई संहिता में संशोधन के माध्यम से पेश की गई) आई. बी. सी. पर सीमा के क़ानून के अनुप्रयोग को निर्धारित करती है। सीमा अधिनियम की धारा 18 में कहा गया हैः-

“18. लिखित रूप में स्वीकृति का प्रभाव।— (1) कहाँ, इससे पहले

किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी मुकदमे या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि की समाप्ति, ऐसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में दायित्व की स्वीकृति लिखित रूप में हस्ताक्षरित की गई है।

जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके माध्यम से वह अपना अधिकार या दायित्व प्राप्त करता है, उस समय से सीमा की एक नई अवधि की गणना की जाएगी जब पावती पर इस तरह से हस्ताक्षर किए गए थे।

(2) जहां पावती वाला लेखन दिनांकित नहीं है, उस समय का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे; लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधानों के अधीन, इसकी सामग्री का मौखिक साक्ष्य प्राप्त नहीं किया जाएगा।स्पष्टीकरण .—इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) एक पावती पर्याप्त हो सकती है, हालांकि यह संपत्ति या अधिकार की सटीक प्रकृति को निर्दिष्ट करने के लिए छोड़ देती है, या यह बताती है कि भुगतान, वितरण, प्रदर्शन या आनंद लेने का समय अभी तक नहीं आया है या इसके साथ भुगतान करने, वितरित करने, प्रदर्शन करने या आनंद लेने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, या इसे बंद करने के दावे के साथ जोड़ा गया है, या संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित किया गया है।

(बी) "हस्ताक्षरित" शब्द का अर्थ है या तो व्यक्तिगत रूप से या इस ओर से विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित, और

(ग) किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन को किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में आवेदन नहीं माना जाएगा। "

आई. बी. सी. की धारा 238-ए में कहा गया हैः-

“ सीमा।--सीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि  अपीलीय न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे। "

7. जहां तक वर्तमान कार्यवाही का संबंध है, यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक चूक की तारीख सीमा का प्रारंभिक बिंदु है, तो उस तारीख से तीन साल के अंतराल ने आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के बैंक के अधिकार को समाप्त कर दिया होगा। दूसरा, भले ही उक्त दिनांकित 29.01.2020 पत्र को ऋण की पावती माना जाता है, लेकिन यह आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही की स्थापना के बाद किया गया था। 503 में

टोटेम्पुडी सालित बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 504 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

इस प्रकार, इस तरह की स्वीकृति का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।अभिवचनों में संशोधन के अभाव में, अपीलीय न्यायाधिकरण सीमा अवधि बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण की ऐसी कथित स्वीकृति नहीं ले सकता था।निर्णय में दावे की स्वीकृति या स्वीकार करने वाले तथ्यों पर विशिष्ट अनुरोध की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड-बनाम-होटल पून्जा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का [(2021) 7

एस. सी. सी. 352]इस मामले में इस न्यायालय द्वारा मोटे तौर पर इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य [(2020) 15 एस. सी. सी. 1]।इस निर्णय में भी, इस न्यायालय द्वारा सीमा प्रश्न को दूर करने के लिए कथन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) के आधार पर अपीलार्थी का तर्क दिनांकित 29.01.2020 पत्र पर आधारित है।इस पत्र में लिखा हैः-

“को।

सहायक महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,

औद्योगिक वित्त शाखा, 6-3-1090 B/4/101, पहली मंजिल, "द ग्रैंड" राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500 082।

मेल-ifbhyderabad@unionbankofi ndla।कॉम (लीड बैंक के माध्यम से)

प्रिय महोदय,

उपः- कंसोर्टियम बैंकों के साथ ओटीएस के लिए अनुरोध संदर्भः- टोटेम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

हम आपकी शाखा के साथ मेरे व्यावसायिक संचालन के दौरान आपके बैंक द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।आपकी शाखा से आपके पत्र/सूचना के

संदर्भ में, हमने इस पर ध्यान दिया है और हमने अपने व्यावसायिक भागीदारों के साथ इस बारे में विस्तार से चर्चा की है।

सैद्धांतिक रूप से, हम आपके बैंक को देय राशि का भुगतान करने के लिए आपस में सहमत हुए हैं।जैसा कि आप जानते हैं, हम वित्तीय संकट के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कठिन दौर से गुजर रहे हैं।इस पर

इस समय हमें इन समस्याओं से बाहर निकलने और आपके बैंक को देय राशि का भुगतान करने के लिए आपके बैंक समर्थन की आवश्यकता है।

इस संबंध में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे खाते के आपके बैंक में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन. पी. ए.) बनने की तारीख को आपके बैंक को देय सटीक बकाया राशि के बारे में हमें सूचित करें।हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि खाते के अनियमित होने की तारीख से लेकर आपके द्वारा हमें सूचित किए जाने की तारीख तक आपके बैंक द्वारा ऋण की बकाया राशि पर लगाए गए सभी दंडात्मक ब्याज को माफ कर दें।

यह हमारे लिए बहुत राहत की बात होगी, यदि आप हमारे खाते पर लगाए गए सभी दंडात्मक ब्याज और दंड और अन्य शुल्कों को माफ कर सकते हैं और हमें भुगतान की योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए सूचित कर सकते हैं।

इसलिए इस संबंध में हम आपसे आगे अनुरोध करते हैं कि आप इस पर विचार करें क्योंकि हमें वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) विकल्प दिया गया है।हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि हमें एक वर्ष की अवधि में कम से कम 4 से 6 किश्तों में उक्त राशि का भुगतान करने की अनुमति दें।

हम सभी कठिन समय में हमारा समर्थन करने और हम पर विश्वास करने के लिए आपके बैंक के बहुत ऋणी हैं।

हम हमेशा आपके बकाया भुगतान के लिए प्रतिबद्ध हैं।अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोई भी सार्वजनिक अधिसूचना या ऐसी कार्रवाई जारी न करें जो हमारी प्रतिष्ठा को खराब करे और साथ ही हमारे लिए धन जुटाने या बकाया ऋण राशि को चुकाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के सभी विकल्पों को बंद कर दे।

चर्चा करने और एक समझ पर आने के लिए कृपया जल्द से जल्द, अधिमानतः 07 फरवरी 2020 से पहले संघ की बैठक या संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक आयोजित करें।

हम आशा करते हैं कि आप हमारे विनम्र अनुरोध पर विचार करेंगे।कृपया आवश्यक और बाध्यकारी कार्य करें।

आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।आभार व्यक्त करते हुए,

आपकी वफादारी से

(सलालिथ टोटेमपुडी)

प्रबंध निदेशक "

505

टोटेम्पुडी सालित बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 506

8. अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) के आधार पर एक तर्क था

इस न्यायालय द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड-बनाम-क्यू प्रिसिजन में जाँच की गई

पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [(2022) 9 एस. सी. सी. 364]।हम अब से इस निर्णय को कोटक महिंद्रा II के रूप में संदर्भित करेंगे। अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 25 (3) के प्रावधान का विश्लेषण करते हुए इस न्यायालय ने इस निर्णय में कहा हैः-

“33. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृति और अनुबंध अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर एक वादे के बीच अंतर है। किसी पक्ष या उस ओर से अधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित वचन और स्वीकृति दोनों में सीमा की एक नई शुरुआत करने का प्रभाव है।अंतर यह है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एक पावती सीमा की अवधि के भीतर की जानी चाहिए और भुगतान करने के किसी भी वादे के साथ होने की आवश्यकता नहीं है।यदि कोई स्वीकृति न्यायिक संबंध के अस्तित्व को दर्शाती है, तो यह सीमा बढ़ा सकती है, भले ही भुगतान करने से इनकार किया जा सकता है।दूसरी ओर, धारा 25 (3) केवल तभी आकर्षित होती है जब समय-बाधित ऋण या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने का स्पष्ट वादा किया जाता है।दस्तावेज़ की जांच करने पर भुगतान करने के वादे का अनुमान लगाया जा सकता है।केवल वादा स्पष्ट और बिना शर्त होना चाहिए। "

9. हम अपीलार्थी के इस निवेदन को स्वीकार करते हैं कि यह पत्र एक बार के समझौते पर विचार करने का अनुरोध था।लेकिन फिर से, कथन या अभिवचन के अभाव में, दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद, ऋण का भुगतान करने के लिए किए गए किसी भी वादे को पहले से मौजूद कार्रवाई में सीमा के दोष को ठीक करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस प्रकृति का एक वादा कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण होगा।

10. अब हम अपीलार्थी द्वारा तर्क दिए गए मुद्दे पर लौटेंगे कि चूक की तारीख उस तारीख तक वापस जानी चाहिए जिस दिन निगमित देनदार के ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था।बी. के. के मामलों में

एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड-बनाम-पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स

[(2019) 11 एस. सी. सी. 633] और बाबूलाल (ऊपर), डिफ़ॉल्ट की तारीख को उस तारीख के रूप में माना गया है जिस पर सीमा अवधि शुरू होती है।गौरव में

हरगोविंदभाई दवे-बनाम-परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (भारत)

सीमित और एक अन्य [(2019) 10 एस. सी. सी. 572], सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के प्रावधान को सीमा की अवधि की गणना के लिए लागू किया गया था।लेकिन ये अधिकारी विधि का कोई प्रस्ताव नहीं रखते हैं जो इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के विपरीत है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

कोटक महिंद्रा I (ऊपर) का मामला।यह न्यायालय , वाशदेव आर के मामले में।

भोजवानी-बनाम-अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और एक अन्य

[(2019) 9 एस. सी. सी. 158], उस मामले में शामिल तथ्यों पर विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था, तो उक्त प्रमाण पत्र ने अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा में कमी आने लगी होगी।वहाँ वसूली प्रमाण पत्र 24.12.2001 पर जारी किया गया था और वित्तीय लेनदार ने 21.07.2017 पर NCLT के समक्ष IBC की धारा 7 के अंतर्गत एक आवेदन का नेतृत्व किया था।लेकिन उक्त निर्णय में भी वसूली प्रमाण पत्र की तारीख को उस तारीख के रूप में माना गया था जिस दिन सीमा का समय शुरू हुआ था।

11. अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि डी. आर. टी. से संपर्क करने वाले बैंकों को चुनाव के सिद्धांत के अंतर्गत ऋणों के एक ही समूह की वसूली के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से रोक दिया गया था।यह साक्ष्य के विधि में सन्निहित एक सिद्धांत है, जो कार्रवाई के एक ही कारण के आधार पर दो अलग-अलग मंचों पर एक ही अधिकार के अभियोजन को रोकता है।लेकिन जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, डी. आर. टी. के समक्ष वसूली की कार्यवाही वर्ष 2014 में शुरू हुई थी।उस समय आई. बी. सी. अस्तित्व में नहीं आया था।इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा कोटक महिंद्रा I (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसूली प्रमाण पत्र स्वयं ही कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देगा जो एक वित्तीय लेनदार को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने का हकदार बनाएगा।इस निर्णय द्वारा, वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद आई. बी. सी. के अंतर्गत तंत्र को लागू करने के वित्तीय लेनदार के अधिकार को एक वैध कानूनी पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया।इस न्यायालय ने उस मामले में वसूली प्रमाण पत्र के बल पर एक सी. आई. आर. पी. स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया। यह जोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की वसूली प्रमाण पत्र डी. आर. टी. से एक

कार्यवाही से उत्पन्न हुआ। वसूली प्रमाण पत्र के लिए प्रवर्तन तंत्र एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम है, जिसे एक वित्तीय लेनदार 1993 के अधिनियम के अंतर्गत तंत्र का पीछा करने के बजाय 1993 के अधिनियम के अंतर्गत अपने बकाया की प्राप्ति का विकल्प चुन सकता है। आई. बी. सी. वास्तव में एक ऋण वसूली तंत्र नहीं है, बल्कि ऋण में डूबी कंपनी के पुनरुद्धार के लिए एक तंत्र है, लेकिन आई. बी. सी. में परिकल्पित प्रक्रिया काफी हद तक इस तरह के तंत्र को लागू करने की प्रक्रिया में ऋण की वसूली सुनिश्चित करने से संबंधित है।1993 के अधिनियम के अंतर्गत ऋण के प्रवर्तन के लिए मंचों के बीच चुनाव और आई. बी. सी. के अंतर्गत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत का प्रश्न वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही उठता है।दोनों कानूनों के अंतर्गत राहत अलग-अलग हैं और एक बार सी. आई. आर. पी. के परिणामस्वरूप स्थगन की घोषणा हो जाती है, तो 1993 के अधिनियम 507 के अंतर्गत प्रवर्तन तंत्र।



या सर्फेसी अधिनियम निलंबित हो जाता है।ऐसी परिस्थितियों में, वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, वित्तीय लेनदार के पास उस तंत्र पर टिके रहने के बजाय एक नए मंच के माध्यम से वसूली को लागू करने का विकल्प होना चाहिए जिसके माध्यम से वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था।ट्रांसकोर-बनाम-भारत संघ और अन्य [(2008) 1 एस. सी. सी. 125] के मामले में, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. तंत्र के अनुप्रयोग को अनुमेय माना गया था, भले ही विषय-कार्यवाही 1993 के अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस प्रकार, चुनाव के सिद्धांत को वित्तीय लेनदारों को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से रोकने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

12. सुनवाई के दौरान एक बात जो हमारे ध्यान में आई है, वह यह है कि वसूली प्रमाण पत्रों में से एक 08.09.2015 पर जारी किया गया था।हम पहले ही मान चुके हैं कि 29.01.2020 दिनांकित पत्र अपने आप ऋण को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, हालांकि यह कार्रवाई का एक स्वतंत्र कारण बना सकता है।एक प्रश्न जो अब उठता है वह यह है कि क्या वर्ष 2015 में जारी वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में ऋण आई. बी. सी. एफ. आई. की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन का विषय बन सकता है।कोटक महिंद्रा I (ऊपर) के मामले में, यह माना गया था कि सी. आई. आर. पी. को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल के भीतर लाया जा सकता है।

13. एन. सी. एल. टी. के समक्ष तीन वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर एक समग्र आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनमें से दो तीन साल की अवधि के भीतर स्थापित किए गए हैं जैसा कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 में प्रतिपादित किया गया है। तीसरा वसूली प्रमाण पत्र वर्ष 2015 में जारी किया गया था।इस प्रकार, इसके जारी होने की तारीख और एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन के आवेदन की तारीख के बीच तीन साल से अधिक का अंतर है।

लेकिन 1993 के अधिनियम के अंतर्गत एक वसूली प्रमाण पत्र भी एक मानित डिक्री के चरित्र के साथ पहना जाता है।1993 के अधिनियम की धारा 19 (22 ए) के प्रावधान विनिर्दिष्ट हैं:-

" धारा 19 न्यायाधिकरण को आवेदनः-

.....

(22 क) उप-धारा (22) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी कोई भी वसूली प्रमाण पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी या उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी के खिलाफ समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय का डिक्री या आदेश माना जाएगा।

जैसा भी मामला हो, उस समय लागू किसी भी विधि के अंतर्गत कोई व्यक्ति या साझेदारी।]"

सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 136 के अनुसार प्रवर्तन के लिए एक डिक्री का जीवनकाल बारह वर्ष है। उक्त प्रावधान में कहा गया हैः-

| "आवेदन का विवरण | सीमा की अवधि | जिस समय से अवधि शुरू होती है |
|---|---|---|
| 136. किसी सिविल न्यायालय की किसी डिक्री (अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली डिक्री के अलावा) या आदेश के निष्पादन के लिए। | बारह वर्ष। | [जब डिक्री या आदेश लागू करने योग्य हो जाता है या जहां डिक्री या कोई बाद का आदेश किसी निश्चित तिथि पर या आवर्ती अवधि में किए जाने वाले धन के किसी भी भुगतान या किसी संपत्ति के वितरण का निर्देश देता है, जब भुगतान या वितरण करने में चूक होती है जिसके संबंध में निष्पादन की मांग की जाती है, तब होता हैः बशर्ते कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान |

| | | |
|---|---|---|
| | | करने वाली डिक्री का निष्पादन किसी भी सीमा की अवधि के अधीन नहीं होगा। " |

14. इस प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत एक आवेदन के लिए सीमा अवधि की गणना करने का समय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यह कोटक महिंद्रा I (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का अनुपात है।उसी प्राधिकरण ने एक मानित डिक्री के रूप में वसूली प्रमाण पत्र की स्थिति का भी विश्लेषण किया है।अन्य बातों के साथ-साथ, इस फैसले में यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

"79. ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22-ए) में उपयोग किए गए शब्दों की स्पष्ट और सरल व्याख्या से यह स्पष्ट होगा कि विधायिका ने प्रावधान किया है कि किसी कंपनी आदि के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करने के उद्देश्यों के लिए ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र को 509 का डिक्री या आदेश माना जाएगा।

टोटेम्पुडी सालित बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 510

न्यायालय ।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक बार ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22-ए) को ध्यान में रखते हुए इसे किसी कंपनी की समापन कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्यों के लिए न्यायालय की डिक्री या आदेश माना जाएगा। हालाँकि, ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22-ए) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विधायिका का उद्देश्य कार्यवाही को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमित वसूली प्रमाण पत्र के उपयोग को प्रतिबंधित करना है।प्रत्यर्थियों का तर्क, यदि स्वीकार किया जाता है, तो कुछ ऐसा प्रदान करना होगा जो ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22-ए) में नहीं है।

80. किसी भी मामले में, जब विधायिका ने स्वयं यह प्रावधान किया है कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (22) के अंतर्गत जारी किया गया कोई भी वसूली प्रमाण पत्र समापन कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय का एक डिक्री या आदेश माना जाएगा, जो कार्यवाही बहुत गंभीर प्रकृति की है, तो यह स्वीकार करना मुश्किल होगा कि विधायिका का इरादा था कि इस तरह की वसूली प्रमाण पत्र का उपयोग सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए नहीं किया जा सकता है, जो कॉर्पोरेट देनदार को एक निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने में सक्षम बनाएगा और साथ ही, लेनदारों के बकाया का अधिकतम भुगतान करेगा।इसलिए हम उक्त निवेदन में कोई सार नहीं रखते हैं। "

15. हम पहले ही 1993 के अधिनियम की धारा 19 (22 ए) के प्रावधान का उल्लेख कर चुके हैं। इस न्यायालय ने 1993 के अधिनियम की धारा 19 (22) और (22 ए) के बल पर आईबीसी के अंतर्गत कार्रवाई करने को शामिल करने के लिए उक्त प्रावधान के उद्देश्य का अर्थ लगाया है। तथापि, उक्त प्रावधान में, जहां तक समापन कार्रवाई करने का संबंध है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए एक मानित-डिक्री धारक के रूप में वसूली प्रमाण पत्र धारक के अधिकार को सीमित कर दिया गया है, जिनके साथ हम यहां संबंधित नहीं हैं।लेकिन आईबीसी के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने या उक्त संहिता के अंतर्गत दावा करने के संबंध में, प्रतिबंध कंपनी अधिनियम, 2013 तक सीमित नहीं रहता है।इस कार्यवाही में निगमित देनदार को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया था।कोटक महिंद्रा I (ऊपर) के मामले में, वर्ष 1993-94 में उधारकर्ता संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं।यह स्पष्ट है कि उस मामले में शामिल तीन निगमित संस्थाओं को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया था जो 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले प्रचलित था। पद की स्थिति

/

[2023] 14 एस सी आर।

विषय की कार्यवाही का मार्गदर्शन करने के लिए विधि का प्रावधान समान होना चाहिए।यदि कोई वित्तीय लेनदार एक मानित डिक्री के रूप में वसूली प्रमाण पत्र का पीछा करना चाहता है, तो उसे बारह साल का समय मिलेगा।हमारा यह विचार है कि एक वसूली प्रमाण पत्र के संचालन की सीमा को इस न्यायालय द्वारा कोटक महिंद्रा I (ऊपर) में केवल समापन याचिका से परे जाने के लिए समझा गया है।यह आई. बी. सी. कार्यवाही में दावा दर्ज करने के लिए एक डिक्री के रूप को बनाए रखेगा।लेकिन इस बिंदु की अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जांच नहीं की गई है।हम पहले ही उन कारणों पर अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं जो आवेदन पर विचार करने में अपीलीय न्यायाधिकरण और एन. सी. एल. टी. के साथ वजन करते हैं।लेकिन चूंकि पहले दो मंचों ने 2015 के प्रमाण पत्र की वैधता का परीक्षण एक मानित डिक्री के रूप में नहीं किया, इसलिए हमारी राय है कि इस प्रश्न को भी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।हम अन्यथा आवेदन की रखरखाव के बारे में अपीलार्थी के तर्क से संतुष्ट नहीं हैं, जिसमें से यह अपील इस आधार पर उत्पन्न होती है कि आवेदन को सीमा के अंतर्गत वर्जित किया गया है।वर्ष 2017 में जारी किए गए दो वसूली प्रमाण पत्रों के संबंध में आवेदन बनाए रखने योग्य है।यदि अपीलीय न्यायाधिकरण की राय है कि सी. आई. आर. पी. 2015 के वसूली प्रमाण पत्र के संबंध में झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि डिक्री अभी भी जीवित है, तो उक्त वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर दावे को समग्र दावे से अलग किया जा सकता है और लेनदारों की समिति, उस स्थिति में, उक्त वसूली प्रमाण पत्र में निकाली गई राशि को सार्वजनिक घोषणा के अनुसरण में किए गए दावों के

हिस्से के रूप में मानेगी।यह निर्देश हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी कर रहे हैं।

16. इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, अपील खारिज कर दी जाती है।अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, भंग हो जाएंगे।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।18. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन